माननीय श्री जी आर मजीठियाक के समक्ष

तेलु राम जैन, अपीलकर्ता,

बनाम

एमएस अग्रवाल संस, प्रतिवादी।

1978 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 1687

11 सितंबर 1990.

माल की बिक्री अधिनियम, 1930—एस. 61—बेचे गए माल की कीमत का भुगतान न किया जाना—ब्याज का भुगतान करने के लिए क्रेता का दायित्व—ऐसा ब्याज देने की न्यायालय की शक्तियाँ।

यह माना गया कि यदि ब्याज के भुगतान के लिए पार्टियों के बीच कोई अनुबंध नहीं था, तो उप-धारा (2) के प्रावधान लागू होंगे और आकर्षित होंगे। धारा 61 की उप-धारा (2) न्यायालय को भुगतान की तारीख से मूल्य की राशि पर उचित समझे जाने वाले ब्याज देने का व्यापक विवेक देती है। ब्याज भुगतान के लिए किसी अनुबंध के अभाव में भी विक्रेता माल की डिलीवरी की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज का हकदार होगा। (पैरा 5)

श्री एच.एल. रणदेव, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ की अदालत के 3 फरवरी, 1978 के आदेश के खिलाफ नियमित दूसरी अपील, जो श्री बी.आर. गुप्ता एचसीएस, न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ की अदालत के 17 जनवरी के आदेश को उलट देती है। 1977 और रुपये के लिए एक डिक्री पारित. लागत के साथ 6,500 और आदेश दिया कि लागत रु। अतिरिक्त साक्ष्य के संबंध में लगाए गए 100 रुपये उसी के विरुद्ध समायोजित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

दावा : रुपये की वसूली के लिए मुकदमा 6,500.

अपील में दावा: निचली अपीलीय अदालत के आदेश को उलटने के लिए।

अपीलकर्ता के लिए बलवंत सिंह गुप्ता वरिष्ठ अधिवक्ता, सत्य प्रकाश जैन, अधिवक्ता।

आदेश   माननीय जी. आर. मजीठिया, न्यायमूर्ति

1. यह अपील प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें अपील पर ट्रायल कोर्ट की अपील को उलट दिया गया था और लागत के साथ 6500/- रुपये की वसूली के लिए वादी-प्रतिवादी के मुकदमे का फैसला सुनाया गया था।

2. प्रतिवादी-वादी ने रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। 6500/- इस आधार पर कि रु. 28-4-69 से 15-10-1970 की अवधि के दौरान क्रेडिट पर उसे आपूर्ति की गई सैनिटरी वस्तुओं और सामग्री की कीमत के शेष के कारण प्रतिवादी-अपीलकर्ता के खिलाफ 5021-49 और रुपये बकाया थे। 1471-07 उसे 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में या व्यवसाय में आगे निवेश करके ब्याज और लाभ के नुकसान के लिए वैकल्पिक मुआवजे के रूप में देय होगा। प्रतिवादी ने विभिन्न आधारों पर वादी के दावे का विरोध किया, जिसमें यह भी शामिल था कि वादी-फर्म पंजीकृत नहीं होने के कारण, उस संक्षिप्त आधार पर मुकदमा खारिज किया जा सकता था। पक्षों की दलीलों से निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए:--

1. क्या वादी फर्म एक पंजीकृत साझेदारी फर्म है और मुकदमा एक सक्षम व्यक्ति द्वारा दायर किया गया है? विपक्ष.

2. क्या प्रतिवादी के विरुद्ध मुकदमा सक्षम नहीं है?

3. क्या आपूर्ति किया गया सामान अनुबंध के अनुरूप नहीं था? ऑप

4. वादी किस राशि का हकदार है? यदि कोई माल की आपूर्ति के कारण है? ऑप

5. क्या वादी ब्याज का दावा करने का हकदार है, यदि हां, तो किस दर से और कितनी राशि तक? ऑप

6. क्या प्रतिवादी विशेष लागत का हकदार है, यदि हां, तो कितनी राशि? ऑप

7. क्या वर्तमान मुकदमा समय के भीतर है?

8. राहत.

मुद्दे नंबर 1 के तहत ट्रायल जज ने पाया कि वादी ठोस सबूतों से यह साबित करने में विफल रहा कि क्या यह एक पंजीकृत फर्म थी और इसलिए ऐसा नहीं हो सकता था, उन्होंने कहा कि मुकदमा एक सक्षम व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था। मुद्दा संख्या 2 के तहत, यह माना गया कि मुकदमा प्रतिवादी के खिलाफ सक्षम था। मुद्दा संख्या 4 के तहत यह माना गया कि वादी रुपये की वसूली का हकदार था। प्रतिवादी से 6500/- रु. अंक संख्या 5 के तहत यह माना गया कि वादी शेष राशि पर किसी भी ब्याज का हकदार नहीं था। मुद्दा संख्या 6 के तहत, यह माना गया कि रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं रखा गया था जो यह दिखा सके कि प्रतिवादी-प्रतिवादी किसी विशेष लागत का हकदार था। मुद्दा संख्या 7 के तहत, न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि मुकदमा समय के भीतर था। मुद्दे संख्या I पर निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, मुकदमा खारिज कर दिया गया, पहली अपील में, वादी ने सिविल पी.सी. के 0.41 आर 27 के तहत एक आवेदन दायर किया। प्रपत्र 'बी' की प्रति रिकार्ड में लाने की अनुमति के लिए; वाद संस्थित होने से पहले वादी फर्म के पंजीकरण को साबित करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सिविल पी.सी. के 0.41 आर.27(1)(बी) के तहत अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति दी। इसने अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति दी क्योंकि यह महसूस किया गया कि साझेदारी अधिनियम के तहत वादी-फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति का उत्पादन प्रभावी निर्णय सुनाने और अपील पर अधिक, संतोषजनक तरीके से निर्णय लेने और पार्टियों के बीच न्याय करने के लिए आवश्यक है। . निष्कर्ष पर पहुंचने में, अपीलीय न्यायालय ने यूपी राज्य में शीर्ष न्यायालय के आदेश पर भरोसा किया। बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव, AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 912 और K. वेंकटरमैया बनाम ए. सीतारमा रेड्डी AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 1526. मुद्दा संख्या 2 के तहत, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी को धारा के तहत ब्याज दिया। माल की बिक्री अधिनियम की धारा 61(2)(a) और परिणामस्वरूप वादी के दावे पर फैसला सुनाया गया। प्रतिवादी ने वर्तमान अपील में प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री पर हमला किया है। विद्वान वकील ने निम्नलिखित दलीलें दी थीं:--

(i) अतिरिक्त साक्ष्य को गलत तरीके से अनुमति दी गई है और इस दलील के समर्थन में उन्होंने सुंदर लाल एंड सन बनाम भारत हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट 406 और वेलजी पर भरोसा किया। देवराज & amp; कंपनी बनाम आयकर आयुक्त बॉम्बे सिटी II, बॉम्बे, (1968) 1 आईटीजे 322।

(ii) विक्रेता को S. 61(2)(a) के प्रावधानों के तहत ब्याज नहीं दिया जाएगा। माल की बिक्री अधिनियम.

2ए. प्रस्तुतियाँ बिना किसी योग्यता के हैं। मुकदमे को ट्रायल कोर्ट ने पूरी तरह से तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। अपीलीय न्यायालय ने सिविल पी.सी. के O.4l R. 27(1)(b) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। अतिरिक्त सबूतों से निर्णय को सबसे संतोषजनक तरीके से सुनाने और पक्षों के बीच न्याय करने की अनुमति मिली। वर्तमान मामले की परिस्थितियों में अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए विवेक को अनियमित और अनुचित नहीं कहा जा सकता है। सुंदर लाल के मामले में फैसले का अनुपात (सुप्रा) एआईआर 1960 एससी 406 मौजूदा मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है। उस मामले में तथ्य इस प्रकार थे:--

शीर्ष अदालत के समक्ष अपील में अपीलकर्ता ईस्ट इंडिया जूट और हेस्सियन एक्सचेंज लिमिटेड के सदस्य थे, जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त एसोसिएशन है। /span>, 1952 के। अपील में अपीलकर्ताओं ने एक पुष्टिकरण पर्ची पेश करने की मांग की जिसमें दूसरे पक्ष की सहमति प्राप्त की गई थी। इस संदर्भ में, शीर्ष न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अतिरिक्त सबूत पेश करने की अपीलकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया:-- फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट उप-धारा (4) का अनुपालन नहीं करता था। S. 15 के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय में आवेदन किया। मध्यस्थता अधिनियम एक आदेश के लिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषित किया गया कि "याचिकाकर्ताओं के बीच 16 सितंबर, 1960 के अनुबंध संख्या 750 में एक वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद था।" और उत्तरदाताओं. अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने प्रतिवादी के साथ 16 सितंबर, 1960 को रुपये की दर पर 6,00,000 बैग बी ट्विल की खरीद के लिए एक अनुबंध किया था। 132.50 प्रति 100 बैग, "अपने खाते पर" एसोसिएशन के उपनियमों के तहत निर्धारित और निर्धारित नियमों और शर्तों पर हस्तांतरणीय विशिष्ट डिलीवरी फॉर्म में। वहाँ से बाहर. उत्तरदाताओं ने अनुबंध के अस्तित्व और उसकी वैधता से भी इनकार किया। आवेदन को उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अनुबंध अमान्य था और यह आवश्यकता S. 33, 1952. अपीलकर्ताओं ने इसके मूल पक्ष पर

"अपीलकर्ताओं के वकील का कहना है कि उत्तरदाताओं ने "बेचा" में अनुबंध की पुष्टि करने वाली एक पर्ची दी थी; ध्यान दें, लेकिन दुर्भाग्य से इसे उच्च न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था, और वह इस न्यायालय में उस पुष्टिकरण पर्ची को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए आवेदन करता है। इस न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली पुष्टिकरण पर्ची का तात्पर्य उस व्यक्ति द्वारा पुष्टिकरण से है जिसने इस पर "एम" के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। एल. बहती" यह दस्तावेज़ निश्चित

रूप से अपीलकर्ताओं के कब्जे में था और उनके द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता था। उच्च न्यायालय के समक्ष दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने के लिए कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। फिर से दस्तावेज़ यह साबित करने के लिए स्वयं को साबित नहीं करता है कि उत्तरदाताओं ने अनुबंध की अवधि के लिए लिखित रूप में सहमति दी थी, सबूत है कि हस्ताक्षर "एम. एल. बहती" उस नाम वाले व्यक्ति द्वारा सदस्यता ली गई थी और वह उत्तरदाताओं की ओर से नोट की पुष्टि करने के लिए अधिकृत था, यह आवश्यक होगा। "बेचा" नोट अपीलकर्ताओं को संबोधित है; इसका तात्पर्य उत्तरदाताओं के नाम से किया जाना है और अपीलकर्ताओं द्वारा एसोसिएशन के सदस्य लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर के रूप में हस्ताक्षरित है।" यह दावा किया गया है कि अपीलकर्ताओं ने "बेचा गया" पर अपने हस्ताक्षर किए; उत्तरदाताओं के अधिकार के तहत नोट. लेन-देन में प्रवेश करने के लिए उत्तरदाताओं की ओर से अपीलकर्ताओं का अधिकार "बेचा गया" की शर्तों से प्रकट नहीं होता है; टिप्पणी। लेकिन अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया है कि नोट के उपनियम प्रपत्र को उन लेनदेन में भी अपनाया जाएगा जिसमें एक दलाल अपने खाते पर अनुबंध में प्रवेश कर रहा है, और यदि अनुबंध के तहत निर्धारित प्रपत्र में नहीं है उपविधि अनुबंध होगा .yoid. हमें उस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम केवल यह बताना चाहते हैं कि रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने अनुबंध के लिए उत्तरदाताओं की लिखित सहमति या अधिकार प्राप्त किया था।"

ये अवलोकन स्पष्ट रूप से विशिष्ट विशेषताओं को सामने लाते हैं।

3. वेलजी देवराज के मामले में (सुप्रा) (1968) 1 आईटीजे 322 ट्रिब्यूनल ने रिकॉर्ड पर अतिरिक्त साक्ष्य लेने से इनकार कर दिया और इस संदर्भ में बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक संदर्भ दिया था भारतीय अनुबंध अधिनियम कीधारा 54 के तहत पाया गया कि ट्रिब्यूनल को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर निर्णय सुनाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, न ही उसे कोई कमी दिखी या दोष, जिसे ठीक करना आवश्यक था। इसलिए अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करने से इंकार करना न्यायाधिकरण के लिए उचित था। यह निर्णय किसी भी तरह से वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। विद्वान अधिवक्ता का प्रथम निवेदन अस्वीकार किया जाता है।

4. विद्वान वकील का दूसरा प्रस्तुतीकरण भी उतना ही अस्थिर है। माल की बिक्री अधिनियम की धारा 61 इस प्रकार है:--

"61. क्षति और विशेष क्षति के रूप में ब्याज.-- (1) इस अधिनियम में कुछ भी विक्रेता या खरीदार के किसी भी मामले में ब्याज या विशेष क्षति की वसूली के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, जहां कानून द्वारा ब्याज या विशेष क्षति वसूली योग्य हो सकती है, या भुगतान किए गए पैसे की वसूली करें जहां इसके भुगतान के लिए विचार विफल हो गया है।

(2) इसके विपरीत किसी अनुबंध के अभाव में, अदालत कीमत की राशि पर ऐसी दर पर ब्याज दे सकती है जो वह उचित समझे-

(ए) विक्रेता को कीमत की राशि के लिए उसके द्वारा किए गए मुकदमे में - माल की निविदा की तारीख से या उस तारीख से जिस दिन कीमत देय थी;

(बी) विक्रेता की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के मामले में खरीदार द्वारा भुगतान किए जाने की तारीख से कीमत की वापसी के लिए मुकदमा दायर किया गया।"

उप-सेकंड। (2) एस. 61 उप-धारा (1) के अपवाद या परंतुक की प्रकृति में नहीं है और न ही पूर्व बाद वाले के अधीन है। यदि ब्याज के भुगतान के लिए पार्टियों के बीच कोई अनुबंध नहीं था, तो उप-धारा (2) के प्रावधान लागू होंगे और आकर्षित होंगे। S. 61 की उप-धारा (2) न्यायालय को तारीख से कीमत की राशि पर उचित समझे जाने वाले ब्याज देने का व्यापक विवेक देती है। जिस पर भुगतान किया जाना था। ब्याज भुगतान के लिए किसी अनुबंध के अभाव में भी विक्रेता माल की डिलीवरी की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज का हकदार होगा। इन परिस्थितियों में, मुझे लगता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही ढंग से विवेक का प्रयोग किया और 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की अनुमति दी।

5. उपरोक्त कारणों से, अपील किसी भी योग्यता से रहित है और खारिज कर दी गई है, क्योंकि उत्तरदाताओं की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

6. अपील खारिज.

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह : अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हरिकिशन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
जिला न्यायालय, गुरुग्राम, हरियाणा